समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल :-

(8)

रेस्टो० 1139-PBR-15

निगरानी क्रमाक :- 97/पी.बी.आर/92

अदम पैरवी में खारिज दिनांक - 22/12/2010

आवेदक :- 1. श्रीमति प्रेमवतीबाई उर्फ प्रेमलताबाई आयु करीबन 70 वर्ष बेवा एन.पी पचौरी निवासी पंचमढ़ी रोड पिपरिया तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

वनाम्

अनावेदक :-1. श्रीमति शीलाबाई उर्फ सुशीलाबाई आयु करीबन 55 वर्ष बेवा राममूर्ती पचौरी निवासी पंचमढ़ी रोड पिपरिया तह. पिपरिया जिला होशंगाबाद (म.प्र.)।

2. श्रीमति कौशल्या देवी पुत्री एन.पी.पचौरी पत्नि शांति स्वरूप शर्मा निवासी सेगांव,मुकाम पोष्ट - सेगांव तह. जिला - बुलढ़ाना (महाराष्ट्र)।

3. श्रीमति गीता देवी पुत्री एन.पी.पचौरी पत्नि सुरेन्द्रसिंह मिश्रा एडव्होकेट निवासी हाउस नम्बर 58-504 मनोहरगंज, चिरागवली लाइन, हैदराबाद मुकाम पोस्ट हैदराबाद 500-001 (आन्ध्रप्रदेश)।

नोट :- उक्तानुसार शीर्षक के अनुसार प्रकरण राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प भोपाल में लंबित था जो दिनांक 22/12/10 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने से अदम पैरवी में खारिज किया गया।

27-4-2015 श्री आशीष कुमार शुक्ला अधिवक्ता, सोहागपुर जिला होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत। 27/4/2015

2.5.15 को पेश हो

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रेस्टो. 1139–पीबीआर / 14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदिका एवं एवं अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदिका की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 22–12–10 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27–4–15 को लगभग 5 वर्ष पश्चात विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है । आवेदिका की ओर से उनके अभिभाषक पूर्व में उपस्थित होते रहे हैं और 5 वर्ष तक प्रकरण की कोई जानकारी नहीं ली गई है, जबकि निगरानी आवेदिका द्वारा ही दायर की गई थी, इसलिए 5 वर्ष पश्चात प्रस्तुत पुर्नस्थापन आवेदन पत्र मान्य किये जाने योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह पुर्नस्थापन आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	